तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर
दीवानी अपील सख्या 18/2018
सीआईएस संख्या 1153/2014
श्रीमती गीता व अन्य बनाम सुशील व अन्य

01.05.2026

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। वहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभय पक्षों को सुना गया।

दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र व जवाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये वहस की।

प्रकरण में दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लेने वावत प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजस्थान राज्य बनाम टी. सहानी 2001 (10) एस.सी.सी. 619** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण मूल अपील के निस्तारण के साथ ही किया जाना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण में भी मूल अपील पर सुनवाई शेष है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में उक्त प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया जाना न्यायोचित है कि उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण बरवक्त अपील निस्तारण किया जावेगा।

पत्रावली बहस अपील हेतु नियत की जाती है, जिस हेतु समय चाहा। आईन्दा आवश्यक रूप से बहस करे। पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दिनांक 12.05.26 को पेश हो।

(नीरज गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–3, अजमेर

12.05.26 अधिवक्ता पक्षकारान उप. [illegible] अपीलार्थी [illegible] का पत्र O. नियम 27 [illegible] मय [illegible] दि. 06.05.26 के [illegible] पेश की [illegible] बहस हेतु [illegible] चाहा। [illegible] का पत्र [illegible] 19-05-26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन [illegible]
[illegible]-3 अजमेर